[illegible]5/18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुकरौली में पेश हुयी पक्षकारान उप० वकील उत्तराधिकारी नाम प्रस्तुत ग्रा० पं० अधि० को सुना गया। वादी ने स्वीकार किया कि मेरे द्वारा उत्तराधिकारी सं० 1 व 4 की मृत्यु उपरान्त वाद पेश किया जो नियमानुसार गलत है। पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन राजस्व लोक अदालत की भावना को मद्देनजर रखते हुए अवलोकन

कार्यवाही

किया गया मनन किया गया अभिलेख की ओर से प्रस्तुत आवेदन 7 नि० 11 स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। पक्षकारी फैसला अनुसार खर्चा स्वयं वहन करे। निर्णय [illegible] राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुण्डोती में सुनाया गया।

NAD'18 camp मुंडोती

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner